बिहार सरकार

कार्यालय, अनुमण्डल पदाधिकारी / दण्डाधिकारी, मसौढ़ी (पटना)

(गोपनीय शाखा) eblocks.bih.nic.in/patna.nic.in

दूरभाष सं0–06122434246 (का0) ई–मेल–sdo.masaurhi@gmail.com

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के तहत राज्यसात किये गये वाहनों की सार्वजनिक नीलामी हेतु अल्पकालीन सूचना विज्ञप्ति संख्या–03/2019

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 एवं (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत मसौढ़ी अनुमण्डल अन्तर्गत विभिन्न थाना द्वारा दर्ज काण्डों में जप्त वाहनों की अधिहरण हेतु अनुशंसित प्रस्ताव के आलोक में समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा निम्न अधिहरण वादों में राज्यसात किये गए वाहनों का सार्वजनिक नीलामी किया जाना है।

नीलामी हेतु वाहनों का विवरण

क्र0 सं0	अधिहरण वाद सं0	थाना काण्ड सं0	वाहन का प्रकार	वाहन का निबंधन सं0	नीलामी हेतु न्यूनतम निर्धारित राशि
1	2073/18–19	पिपरा थाना काण्ड संख्या–03/18	मोटरसाईकिल	BR01CT-9732	18,000/–रु0
2	2078/18–19	पिपरा थाना काण्ड संख्या–39/18	मोटरसाईकिल	BR01AZ-4406	12,000/–रु0
3	1788/18–19	मसौढ़ी थाना कांड संख्या–614/17	मोटरसाईकिल	BR01CR-8834	24,000/–रु0

नीलामी की शर्त्ते :–

(1) उपरोक्त वाहन **"जहाँ है जिस स्थिति में है"** के आधार पर नीलामी की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में संबंधित थाना में उक्त वाहनों का निरीक्षण कर सकते हैं।

(2) नीलामी डाक आरम्भ होने से पूर्व इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वाहन की सुरक्षित मूल्य का **25%** नगद राशि जमानत के रूप में अनुमण्डल नजारत शाखा, मसौढ़ी में जमा करना होगा तथा नाजिर रसीद की मूल प्रति नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा तभी नीलामी में भाग लेने दिया जायेगा। नीलामी की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत उच्चतम् बोली लगाने वाले डाकवक्ता को छोड़कर शेष व्यक्तियों की जमानत राशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।

(3) उच्चतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को सफल डाकवक्ता के रूप में चयन की जायेगी। तत्पश्चात सफल डाकवक्ता को उपरोक्त वाहनो हेतु लगायी गयी उच्चतम् बोली राशि के अतिरिक्त सरकार द्वारा निर्धारित GST शुल्क के साथ नीलामी समाप्ति उपरांत कुल राशि का 50% राशि जमा करना होगा, जिसमें जमानत की राशि विहित कर लिया जायेगा एवं शेष आधी राशि दो दिनों के अन्दर जमा कर वाहन ले जाना होगा, अन्यथा जमा राशि को जप्त करते हुए द्वितीय स्थान वाले डाकवक्ता को अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) नीलामी के समय नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

(5) नीलामी **दिनांक 20.08.2019 को 11:30 बजे** से अनुमण्डल कार्यालय, मसौढ़ी के सभागार में किया जायेगा। उक्त तिथि को किसी कारणवश नीलामी नहीं होने की स्थिति में दिनांक **21.08.2019** को निर्धारित समयानुसार किया जायेगा।

(6) नीलामी को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(7) नीलामी संबंधी विस्तृत जानकारी कार्यालय के सूचना पट्ट अथवा जिले/अनुमंडल के अधिकृत बेबसाईट पर देखा जा सकता है।

31/7/19

अनुमण्डल पदाधिकारी,
मसौढ़ी।